(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2025-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि. ..... एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1311 (अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्द और प्रतीक, "(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" के पश्चात शब्द और प्रतीक, "(ग) उपरोक्त (क) के लिए खाद्य इनपुट" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/2/2025-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 39/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 को सा.का.नि. 1311(अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017,के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत संशोधन किया गया था, जिसे सा.का.नि. 701(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।